

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अधीनस्थ अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

संख्या नम्बर :-138/2013 राजस्व वाद

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री गणपत पिता लादू कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्रीमति नन्दू पत्नि लादू कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील भीलवाड़ा

श्रीमति भागूति पत्नि लादू कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---वादीगण

बनाम

1-श्री भैरूलाल पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्री किशनलाल पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-श्री बाबूलाल पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

4-श्री ओम प्रकाश पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जायें।

1-श्री गणपत पिता लादू कलाल, उम्र बालिग, श्रीमति नन्दू पत्नि लादू कलाल, उम्र बालिग, श्रीमति भागूति पत्नि लादू कलाल, उम्र बालिग, माया पुत्री लादू कलाल, उम्र बालिग, जमनी बेवा मोहन कलाल, उम्र बालिग निवासीयान आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादीगण के नाम हक व हिस्से अनुसार निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जायें।

आराजी नम्बर  
1008/2

रकबा  
2 बीघा

लगान  
22.00

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा (राज.)

1043	2 बीघा	-	22.00
कुल किता 2	रकबा 4 बीघा	-	लगान 44.00

श्री किशन लाल पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग, श्री बाबूलाल पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग, श्री ओम प्रकाश पिता हीरा कलाल, उम्र बालिग निवासीयान आरजिया तहसील व भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1006	1 बीघा 18 बिस्वा	20.90
1008/1	- 03 बिस्वा	1.65
कुल किता 2	रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा	लगान 22.55

नोट:-जरिये इंतकाल नम्बर 2055 दिनांक 5.10.2016 के द्वारा भैरूलाल का हिस्सा हक परित्याग हो जाने से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज किया गया।

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.05.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा